

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सुलतानपुर

पत्रांक: समग्र शिक्षा/के०जी०बी०बी०/6400-6410/2026-27

दिनांक: 18/06/2026

विज्ञापित

उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-1553/68-5-2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग- लखनऊ दिनांक: 11.12.2020, महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक: के०जी०बी०बी०/शिक्षक/8362/2020-21 दिनांक 04.01.2021 एवं महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक: के०जी०बी०बी०/11308/2022-23 दिनांक: 14.02.2023 शासनादेश संख्या-2805/68-5-2023-02/2020 दिनांक: 01 फरवरी, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/570148/2024 File No 68-5099/23/2024-5 () दिनांक 28-05-2024 तथा शासनादेश संख्या-1/775757/2024 File No 68-5099/23/2024-अनुभाग-5 दिनांक 21-10-2024 एवं तत्क्रम में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक के०जी०बी०बी०/1837/2024-25 दिनांक 30-05-2024 तथा पत्रांक: के०जी०बी०बी०/7114/2024-25 दिनांक 28.10.2024 के अनुपालन एवं जिलाधिकारी महोदय की अनुमति दिनांक 12.06.2026 के कम में जनपद सुलतानपुर में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों/उच्चकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (कक्षा 8 से 12) में शैक्षिक व गैर शैक्षिक कर्मचारियों के रिक्त पदों पर सविदा के आधार पर आगामी सत्र हेतु (11 माह 29 दिन) शैक्षिक व गैर शैक्षिक पदों पर उल्लिखित विवरण के अनुसार केवल महिला योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पूर्णरूप से भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 10 जुलाई, 2026 तक पंजीकृत डाक/स्वीड पोस्ट द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, विवेक नगर सुलतानपुर पिन कोड 228001 साय 05 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। (1) रिक्त पदों का विवरण (कक्षा-06 से 08) निम्नवत् है:- (समस्त पद महिला अभ्यर्थी हेतु आरक्षित)

क्र० सं०	पदनाम	आयु सीमा (आयु की गणना 01 अप्रैल, 2026 से की जायेगी)	पदों की संख्या	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	ई०र०र०यू० एस०	अनारक्षित	पी०ए०बी० द्वारा स्वीकृत नियत मानदेय प्रतिमाह (ई०पी०एफ० सहित)
1	पूर्ण कालिक शिक्षिका (गणित)	25 से 45 वर्ष तक	02	—	—	—	02	25,410/-
2	पूर्ण कालिक शिक्षिका (विज्ञान)		01	—	—	—	01	25,410/-
3	अंशकालिक शिक्षिका (कम्प्यूटर शिक्षा)		01	—	—	—	01	12,790/-
4	लेखाकार		01	—	01	—	—	14,357/-
5	मुख्य रसोइया		02	—	01	—	01	9006/-
6	सहायक रसोइया		04	01	01	—	02	6758/-
7	चपरासी (अनुचर)		03	01	01	—	01	7,505/-

(2) रिक्त पदों का विवरण (कक्षा-09 से 12) निम्नवत् है (समस्त पद महिला अभ्यर्थी हेतु आरक्षित)

1	प्रधानाचार्य	25 से 45 वर्ष तक	02	01	—	—	01	30,000/-
2	पी०जी०टी०-हिन्दी		01	—	—	—	01	22,000/-
3	पी०जी०टी०-अंग्रेजी		01	01	—	—	—	22,000/-
4	पी०जी०टी०-गणित		01	—	—	—	01	22,000/-
5	पी०जी०टी०-जीव विज्ञान		02	—	—	—	01	22,000/-
6	पी०जी०टी०-रसायन विज्ञान		01	—	—	—	01	22,000/-
7	पी०जी०टी०-भौतिक विज्ञान		01	01	—	—	—	22,000/-
8	लैब असिस्टेंट		05	01	01	—	03	7,147/-
9	कार्यालय अधीक्षक/लिपिक		01	01	—	—	—	12,430/-
10	कैंयर टेकर		01	01	—	—	—	24,200/-
11	रसोइया		20	05	06	02	07	6433/-
12	चपरासी (अनुचर)		04	01	02	—	01	7,147/-
13	चौकीदार		04	0	01	01	02	7,147/-

नोट-प्रधानाचार्य जिस विषय की अर्हता रखती होगी उस विषय की पृथक से शिक्षिका की नियुक्ति नहीं की जायेगी तथा सम्बन्धित विषय का शिक्षण कार्य प्रधानाचार्या द्वारा ही किया जायेगा।

शैक्षिक अर्हता

- पूर्णकालिक शिक्षिका (गणित) गणित (पी०जी०एम० वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी०ई०टी०)
- पूर्णकालिक शिक्षिका (विज्ञान) की अर्हता- जेड०बी०सी० वर्ग से प्रशिक्षित प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी०ई०टी०
- अंशकालिक शिक्षिका (कम्प्यूटर शिक्षा) की अर्हता- कम्प्यूटर प्रशिक्षित स्नातक कम्प्यूटर प्रशिक्षित स्नातक एवं पी०जी०डी० सी०ए०/बी०सी०ए०/बी०एस०सी० कम्प्यूटर साईंस अथवा स्नातक सहित डी०ओ०ई०ए०सी०टी० या समकक्ष संस्था से "ओ-लेवल" / ए-लेवल डिप्लोमा।
- लेखाकार- स्नातक चाणित्य तथा एम०एस० ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान अनिवार्य होगा। डी०ओ०ई०ए०सी०टी० या समकक्ष संस्था से कम्प्यूटर शिक्षा में ओ लेवल डिप्लोमा अथवा समकक्ष अन्य योग्यता की दशा में अभ्यर्थिनी को चयन में वरीयता दी जायेगी।

शैक्षिक अर्हता-

- प्रधानाचार्य की अर्हता- (प्रशिक्षित) (1) प्रशिक्षित एम०ए० (हिन्दी/अंग्रेजी) अथवा एम०एस०सी० (भौतिक विज्ञान/रसायन विज्ञान/जन्तु विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/गणित/कम्प्यूटर साईंस) किसी विश्वविद्यालय या संस्था या ऐसे विश्वविद्यालय या संस्था से सम्बद्ध किसी मान्यता प्राप्त संस्था की या अन्य राज्यों की परिषदों से सम्बद्ध किसी संस्था की या इसी प्रकार की संस्थाओं की, जिसकी परीक्षाएं परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम चार वर्ष का शिक्षण अनुभव हो या विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाईस्कूल के प्रशिक्षण स्नातक प्रधानाध्यापक के रूप में कम से कम चार वर्ष का अनुभव हो, प्रतिबन्ध यह भी है कि वह 30 वर्ष से कम आयु की न हो। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इण्टरमीडिएट कक्षाओं में दस वर्ष का शिक्षण अनुभव के साथ-साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि या पन्द्रह वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ तृतीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि या (3) विज्ञान में प्रशिक्षित स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी प्रतिबन्ध यह है कि उसने यह डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम या द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण किया हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्था में ऐसा डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात क्रमशः 15 या 20 वर्ष की प्रशंसनीय सेवा की हो।

- पी०जी०टी० हिन्दी की अर्हता- (प्रशिक्षित) हिन्दी में एम०ए० तथा संस्कृत के साथ बी०ए० अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कालेज, वाराणसी अब सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय, वाराणसी
- पी०जी०टी० अंग्रेजी की अर्हता- (प्रशिक्षित) नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेशीय अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि (पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री) किसी ट्रेनिंग कालेज से एल०टी० डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।
- पी०जी०टी० गणित की अर्हता- (प्रशिक्षित) 1- एम०ए० अथवा एम०एस०सी० गणित अथवा 2- गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बी०ए० (आनर्स) अथवा बी०एस०सी० (आनर्स)
- पी०जी०टी० जीव विज्ञान की अर्हता- (प्रशिक्षित) 1- वनस्पति विज्ञान अथवा जन्तु विज्ञान में एम०एस०सी० अथवा 2- कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एम०एस०सी०, बी०एस०सी० में जन्तु विज्ञान अथवा 3- कृषि विषयक जन्तु विज्ञान के साथ एम०एस०सी०, बी०एस०सी० में वनस्पति विज्ञान अथवा 4- यू०जी०सी० द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / डिग्री कालेज से एम०एस०सी० (लाइफ साईंस) अथवा 5- किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कालेज में शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बी०एस०सी०
- पी०जी०टी० रसायन विज्ञान की अर्हता- (प्रशिक्षित) 1- रसायन विज्ञान में एम०एस०सी० अथवा 2- रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बी०एस०सी० (आनर्स) अथवा 3- यू०जी०सी० द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय / डिग्री कालेज से स्नातकोत्तर (बायोकेमिस्ट्री) अथवा 4- किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कालेज से शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बी०एस०सी०
- पी०जी०टी० भौतिक विज्ञान की अर्हता- (प्रशिक्षित) 1- एम०एस०सी० (भौतिक शास्त्र) अथवा 2- किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कालेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बी०एस०सी०
- लैब असिस्टेंट की अर्हता- हाईस्कूल विज्ञान वर्ग के साथ एवं लैबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ
- कार्यालय अधीक्षक/लिपिक की अर्हता- 1- माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा आयोजित इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा उसाके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2- माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० के साथ-साथ केन्द्र अथवा किसी राज्य द्वारा स्थापित किसी संस्था / शिक्षा बोर्ड / परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कम्प्यूटर साईंस विषय को लिया गया हो। अथवा कम्प्यूटर संचालन डोएक/NIELIT द्वारा प्रदत्त CCC प्रमाण-पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण-पत्र। अथवा कम्प्यूटर साईंस में डिप्लोमा / डिग्री 3- कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण गति न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट एवं कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण गति न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट
- कैंयरटेकर की अर्हता- परास्नातक एवं बी०एड०। अभ्यर्थी शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।
- मुख्य रसोइया की अर्हता- कक्षा-8 उत्तीर्ण। अभ्यर्थी शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।
- सहायक रसोइया की अर्हता- कक्षा-8 उत्तीर्ण। अभ्यर्थी शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।
- रसोइया की अर्हता- कक्षा-8 उत्तीर्ण अभ्यर्थी शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।
- चपरासी (अनुचर) की अर्हता- कक्षा-8 उत्तीर्ण। अभ्यर्थी शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।
- चौकीदार की अर्हता- कक्षा-8 उत्तीर्ण अभ्यर्थी शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।

क्र०सं०	परीक्षा/उपाधि का नाम	गुणवत्ता अंक
1	हाईस्कूल	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X10 / 100
2	इण्टरमीडिएट	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X10 / 100
3	स्नातक उपाधि	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X20 / 100
4	परास्नातक उपाधि	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X20 / 100
5	प्रशिक्षण	सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X30 / 100

नोट-

- यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक समान हों तो ऐसे अभ्यर्थी का नाम, जो आयु में ज्येष्ठ हो, सूची में उच्चतर रखा जायेगा।
- यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक और आयु समान हो तो अभ्यर्थी का नाम, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार सूची में रखा जायेगा।
- रसोइया, सहायक रसोइया, मुख्य रसोइया, चपरासी (अनुचर) एवं चौकीदार के पद पर चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा।
- पूर्णकालिक शिक्षिका, कैंयर टेकर, रसोइया, सहायक रसोइया, मुख्य रसोइया, चपरासी (अनुचर) एवं चौकीदार का पद पूर्णकालिक है, इन पदों पर चयनित कर्मिकों को विद्यालय में रात्रि निवास करना अनिवार्य होगा।
- सत्यापन- शिक्षक/शिक्षणेतर स्टाफ के चयन के समय प्रस्तुत प्रमाण पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड / संस्था से कराया जायेगा। कर्मिकों के मूल शैक्षिक अभिलेखों को जिला परियोजना कार्यालय में सुरक्षित / संरक्षित कराया जायेगा। अभिलेखों के सत्यापनोपरान्त ही मानदेय का मुगुतान किया जायेगा। उपरोक्त के सम्बन्ध में विस्तृत आवश्यक दिशा-निर्देश एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जनपद के वेबसाईट <https://sultanpur.nic.in/> पर अपलोड है। आवेदन पत्र के साथ अपनी दो स्व-प्रमाणित फोटो, समस्त शैक्षिक अंकपत्र (स्नातक एवं परास्नातक के सभी वर्षों का अंकपत्र), प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड एवं अन्य वांछित प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ तथा अपना नाम, पता लिखे हुए 02 लिफाफे स्वीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक के निर्धारित शुल्क के डाक टिकट लगे हुए अनिवार्य रूप से संलग्न करें। आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदिता पद का नाम व विषय तथा आरक्षण वर्ग अवश्य लिखें। प्रत्येक पद हेतु अलग-अलग आवेदन करना होगा। अपूर्ण, अस्पष्ट, बिना संलग्नकों वाले, बिना हस्ताक्षर, प्रारूप से भिन्न, अक्षुरे संलग्नकों वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा। साधारण डाक से प्रेषित व अतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा और न ही इस सम्बन्ध में कोई सूचना दी जायेगी। काउन्सिलिंग 6 साक्षात्कार में प्रतिभाग करने वाले किसी भी अभ्यर्थिनी को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। विज्ञापित में किसी भी प्रकार के बदलाव 6 सुधार एवं किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार जनपदीय चयन समिति का होगा। इसमें अभ्यर्थी का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(उपेन्द्र गुप्ता)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सुलतानपुर।